अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

40/14 225 पूना V/s केसर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2014/00148 रेस्पो 9 से 11, 14 से 19 श्री ... 4A 21 से 23	
	श्री रविकिशन अरोड़ी श्री विजयसिंह 1 से 6	

पूना बनाम केसर सिंह वगैरह

2.9.21 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 07,08, 12 व 13 की तलबी बार बार नोटिस पेश किये जाने के बाद भी तामील नहीं हो रही है। इसलिए अपील पर सुनवाई की जाकर आदेश दिये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 द्वारा कब्जे के अभाव में अवैधानिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कियागया जिसमें प्रस्तुत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.09.2014 को जारी किये जाने के आदेश पारित किये है एवं उक्त आदेश की आड़ में अपीलांट को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये प्राथमिक स्तर पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दुओ का होना वर्णित करते हुए बिना किसी आधार के एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो कि प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट को स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 निरस्त फरमाये जावें तथा पत्रावली विधि द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से0 6 ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमिया ग्राम सरवीना की शामलात देह की भूमियॉ थी जिस पर गॉव के नम्बरदार उदा पटेल व शामलात देह थोक माना के नाम राजस्व रिकार्ड में चली आ रही थी तत्पश्चात गॉव बसने के बाद उदा पटेल ग्राम सरवीना छोड़कर ग्राम लगतेखेड़ा जाकर रहने लगा तथा तबसे जब तक जब तक जीवित रहा वहीं का ही पटेल कहलाया तथा उपरोक्त भूमियॉ निरन्तर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व आज दिवस तक ग्रामवासियान सरवीना के सार्वजनिक उपयोगितार्थ ग्राम के मवेशियों की चराई हेतु चली आ रही थी। अपीलांट /अप्रार्थीगण की नियत खराब है और बिना किसी हक व अधिकार, कब्जे के उपरोक्त भूमियों पर ग्रामवासियान /रेस्पोडेन्टस को बेदखल कर उनकी काश्त की गयी फसल को नष्ट करना चाहते है व आए दिन डरा व धमका रहे है इस कारण वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 23.09.2014 को विवादित आराजी की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के अंन्तरिम आदेश पारित किये है। जो विधि सम्मत है। उक्त आदेश से अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं हो रहा है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को निरस्त किया जाता है तो अपीलांट विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बेचान कर सकते है। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी एवं वाद की बाहुल्यता

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

40/2014/225

तारीख	2014/00148	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री राकेश अरोड़ा	श्री विजयसिंह	

लगातार

बढ़ेगी। अपीलांट ने आदेश दिनांक 23.09.2014 के विरूद्ध अपील पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अन्तरिम आदेश है जिसकी अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील को खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा दिनांक 23.09.2014 प्रार्थीगण के अधिवक्ता की सुनवाई की जाकर ग्राम सरवीना तहसील ब्यावर की वाद वर्णित आराजी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये है। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष शेष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 अन्तरिम आदेश हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील अधिकारी